रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 349] नई दिल्ली, शनिवार, मई 30, 2015/ज्येष्ठ 9, 1937
No. 349] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 30, 2015/JYAISTHA 9, 1937

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2015

सा.का.नि. 438(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 399 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का नाम कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) दूसरा संशोधन नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 के नियम 15 में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगाः

> "परंतु कोई भी व्यक्ति अधिनियम की धारा 399 के अधीन धारा 117 की उप-धारा (3) के खंड (छ) में निर्दिष्ट संकल्पों का निरीक्षण करने या उसकी प्रतियां अभिप्राप्त करने का हकदार नहीं होगा"।

[फा. सं. 1/16/2013- सीएल-V]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. सं. 268(अ), तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 122(अ), तारीख 24 फरवरी, 2015 द्वारा उनका अंतिम संशोधन किया गया था ।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 29th May, 2015

G.S.R. 438(E).—In exercise of the powers conferred by section 399 read with sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014, namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Registration Offices and Fees) Second Amendment Rules, 2015.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014, in rule 15, the following proviso shall be inserted:

"Provided that no person shall be entitled under section 399 to inspect or obtain copies of resolutions referred to in clause (g) of sub-section (3) of Section117of the Act.".

[F. No. 1/16/2013-CL.V]
AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide number. G.S.R. 268(E), dated the 31st March, 2014 and was last amended by notification vide number G.S.R 122(E), dated the 24th February, 2015.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.